फद अहकाम

प्रार्थीगण **बनाम** अप्रार्थीगण

य [illegible] 100/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने दस्तावेजात सूचि पेश की। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता आ.ता. पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करे अन्यथा सोबिक्त अपेक्षानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 17/1/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
17/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। उभय पक्ष की बहस पूरी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्र०प्र० हेतु दिनांक 21/1/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
21/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 100/2024 निर्णय दिनांक : 21.01.2025

जगदीश पुत्र सुण्डा जाति रैगर निवासी रैगरा का मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र स्व0 श्री सुण्डाराम निवासी रैगरो का मोहल्ला, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. जितन्द्र अटल उर्फ जीतू पुत्र श्री रामजीलाल निवासी बेनाड पूजा पब्लिक स्कूल के पास बैनाड जयपुर

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– (1) श्री नरोत्तम कुमार वर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री अजय सैनी – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1, 2 ओर से

दिनांकः–21.01.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टयर वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर मे स्थित है जो की प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी ही स्वअधिकार काबिज काश्त है और कृ षि कार्य करकें अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है, इस भूमि को आगे के पैराज में भूमि वादग्रस्त कहा गया है। भूमि वादग्रस्त का मूल खसरा नम्बर 160 रकबा 15 विघा 8 बिस्वा थे जिसका विभाजन होने पर खसरा नम्बर 160/2 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा प्रार्थी व उसके भाईयों को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात् इस भूमि के नवीन खसरा नम्बर 492, 495, 497, 492/790, व 791/871 बनाये गये, जिसमें प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 492, 492/790, व 491/871 प्राप्त हुई, इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

491/871 व 492/790 का वादी तनहा खातेदार काश्तकार है । भूमि वादग्रस्त खसरा 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है तथा भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा भूमि वादग्रस्त पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा नही 'किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार ही है । प्रार्थी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर वादग्रस्त पर अपार्थीगण या अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नही है, न ही किसी भी प्रकार का अन्य व्यक्ति का भूमि वादग्रस्त पर कोई लेना देना ही है । अप्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि खसरा नम्बर 1147/495 है जो कि प्रार्थी की भूमि की पूरब दिशा की सीमा की ओर लगती हुई लेकिन चूंकि अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 2 ने जबरन नाजायज रूप से प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का कार्य करते रहते है। तथा अप्रार्थी प्रोपर्टी कारोबारीयों के साथ मिलकर भू माफिया गिरोह बना रखा है व अपने भू माफिया गिरोह के लोगों के साथ मिलकर खसरा नम्बर 1147/495 की भूमि का विस्तार प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की सीमाये तोड कर भूमि को दबा कर तथा नाजायज रूप से प्रार्थी वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अवेध अतिक्रमण कर भूमाफिया व प्रोपर्टी डीलरो के साथ मिल कर तथा अवेध रूप से जबरन तार बाउन्ड्री हटा कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने की नियत से जे सी बी मशीन के द्वारा नींव खोद कर निर्माण करवा रहे है जिनका अप्रार्थी कतई किसी भी प्रकार से कतई कोई हक व अधिकार नही है । प्रार्थी भूमि वादग्रस्त के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि पर सअधिकार कब्जे काश्त में है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या– दो के जवाब में लेख है कि जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाके ग्राम बैनाड मय [illegible] सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबिसल, तहसील – रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर के अनुसार खसरा नमबर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.8700 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसके खातेदार जगदीश, नेमीचन्द, भागीरथ पुत्रान् सुण्डा उर्फ रूडिया प्रत्येक का हिस्सा 1/3 – 1/3 निहित रहा है, उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का तीनों सह काश्तकारों ने एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर

सहमति का विभाजन पत्र दिनांक को तहसीलदार रामपुरा डाबडी, 1812/2023 जिला जयपुर के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का ली गयी तथा तीनों सहकाश्तकारों की सहमति होने पर दिनांक 19/12/2023 को बंटवारा का आदेश पारित किया गया तथा बंटवारा आदेश दिनांक 19/12/2023 की पालना में अलग–अलग खाता कायम किये गये तथा लगान निर्धारित किया गया तथा तरमीमी नक्शा जारी किया गया, मौके पर जाकर तहसीलदार जी ने बंटवारनामें में आयी भूमि का कब्जा सम्भलाया गया तथा अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि पर भागीरथ ने बाउण्ड्रीवाल कर ली, इस प्रकार वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 1147/495 रकबा 0.6200 हैक्टेयर तथा नेमीचन्द के हिस्से में खसरा नम्बर 1148/495 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर आये है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है, बंटवारा होने के पश्चात् तहसीलदार जी रामपुरा डाबडी द्वारा तरमीमी नक्शा कायम कर प्रत्येक खातेदार को मौके पर जाकर उनके हिस्से में आयी भूमि पर कब्जा देकर आये है। शेष मद में अंकित कथन खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर का वादी खातेदार होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या तीन के जवाब में निवेदन है कि उक्त भूमि के अलावा अन्य खसरा नम्बरान् का मूल खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा का था, जिसमें से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व नेमीचन्द के पिता सुण्डा पुत्र भूदा का भूमि कदीमि कब्जा के आधार पर आवंटित की गयी थी, जिसका खसरा नम्बर 160/2 रकबा बीघा । बिस्वा दर्ज किया गया है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 160 / 2 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नम्बर 491/871, 492/790, 495, 496, 497 बनाये गये है, जिसका बंटवारा होने पर प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 491/871, 492/790 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 1147/495 तथा नेमीचन्द के हिस्से में खसरा नम्बर 1148/495, 496, 497 भूमि आयी है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या चार के जवाब में लेख है कि खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1147/495 के मध्य सीमा [illegible] बाउण्ड्रीवाल हो रखी है, जो तकासमा होने के पश्चात् की गयी है, खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर की भूमि का बंटवारा होने पश्चात् प्रार्थी को कब्जा सम्भलाया गया है, उसके पश्चात् ही सीमा पर बाउण्ड्रीवाल की गयी है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्तनीय है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या– पाँच गलत होने से अस्वीकार है। बंटवारा होने के पश्चात् प्रार्थी अपने खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर पर का़बिज काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 1147/495 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

6200 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। दोनों खसरा नम्बरान् के मध्य सींव पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल हो रखी है, इसलिए मिन अप्रार्थी का प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और ना ही कब्जा करने का प्रश्न पैदा होता है। प्रार्थी ने समस्त इबारत कल्पना के आधार पर लिखी है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संभ्रान्त परिवार के शान्तिप्रिय व्यक्ति है, प्रार्थी व उसके परिवारजन झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है, इसलिए झगडे से बचने के लिए मिन उत्तरदाता अपार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य की सींव पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवा रखा है, जो तकासमा होने के पश्चात् किया गया है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण न तो भू–माफिया है और ना ही प्रोपर्टी डिलरों के साथ मिले हुए है, ना ही तार बाउण्ड्री हटा रहे है, ना ही प्रार्थी की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे है और ना ही प्रार्थी की भूमि पर जे.सी.बी. से नींव खोद रहे है। प्रार्थी द्वारा समस्त इबारत गलत व कल्पना के आधार पर लिखी है, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है । यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या छः गलत लिखी होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या– सात गलत होने से अस्वीकार है । प्रार्थी शान्ति प्रिय व्यक्ति नहीं है, बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी ने सहमति से बंटवारा करवाया है तथा बंटवारा में आयी भूमियों पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा बंटवारा पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सींव पर पुख्ता बाउण्ड्री वाल की गयी है, उस समय प्रार्थी ने कोई एतराज नहीं किया है तथा बाउण्ड्रीवाल होने के पश्चात् प्रार्थी, अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने लगा है, पुख्ता बाउण्ड्रीवाल के पश्चात् प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने, सीमाएँ तोडने, अन्दर घुसने व अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होते हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपनी–अपनी सीमाएँ कायम कर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल कर रखी है। इसलिए एलानियां धमकी देने का सवाल ही नहीं है, अप्रार्थीगण कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, काश्तकार व्यक्ति है, जो काश्तकर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते है । शान्तिप्रिय व्यक्ति है; अप्रार्थीगण ने किसी भी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा नहीं किया है, प्रार्थी ने कल्पना के आधार पर इबारत अंकित की है, मिन उत्तरदाता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है, इसलिए प्रार्थी मान्य न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्तनीय है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या– आठ गलत होने से अस्वीकार है। मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20 / 11 / 2024 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रामपुरा डाबडी के आदेश 2024 / 3496 दिनांक 18 / 10 / 2024 एवम् भू– अ. / 2024 / 3871 दिनांक 18 / 11 / 2024 की पालना में बैनाड मय दौलतपुरा के मौके पर बहमराह पटवारी खोराबिसल एवम् नांगल सिरस के साथ मौके पर पहुँचे है तथा जरीब चलाकर खसरा नम्बर 1147 / 495, 491 / 871, 492 / 790 की सीमा ज्ञान का प्रयास किया गया। मौके पर मुस्तिकल बिन्दू के आस–पास मकान बने हेने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर

कारण जरीब द्वारा सीमाज्ञान किया जाना सम्भव नहीं हुआ, अतः सीमाज्ञान भूदृप्रबन्धक विभाग से तकनीकि सहायता से किया जाना उचित होगा, उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा समस्त इबारत गलत अंकित की गयी है, राजस्व टीम व वादी को धमका कर नहीं भगाया गया है। मौका फर्द पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है, नेमीचन्द, जितेन्द्र, मनीष बंशीवाल गिरदावर हल्का पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है । इस पर धमकाने व सीमाज्ञान नहीं करने दिया, ऐसा कोई नोट लगा हुआ नहीं है, इसलिए प्रार्थी द्वारा कयास के आधार पर तथ्य अंकित किये गये, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या नो गलत होने से अस्वकार है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15/12/2024 को वादी की भूमि पर कोई नींव नहीं खोदी गयी है और ना ही नींव खोदने का प्रयास किया गया है और ना ही ऐसी कोई धमकी दी गयी है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा नम्बरान् के मध्य सींव पर बंटवारा होने के पश्चात् बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है, प्रार्थी की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है, प्रार्थी ने समस्त इबारत गलत लिखी है, इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। बंटवारा होने के पश्चात् तहसीलदार जी द्वारा तरमीमी नक्शा कायम करने के पश्चात् मौके पर कब्जा सम्भलाया गया है, उसी अनुसार सीमा पर बाउण्ड्रीवाल बनाया गया है, प्रार्थी अब अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्तनीय है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0. 4700 हैक्टेयर भूमि के किसी भी अंश व भाग पर मिन उत्तरदाता अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण, अतिक्रमण व कब्जा नहीं किया जा रहा है, प्रार्थी के खसरा नम्बर 492/790 व अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1147/495 के मध्य की सींव व पुख्ता बाउण्ड्रीवाल हो रखी है, इसलिए प्रार्थी की भूमि पर निर्माण, अतिक्रमण, कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। इसलिए प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या बारह गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी पक्ष में नहीं है, अपितू अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में है, अगर अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया गया तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति काति होगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जिसमें अन्तरिम आदेश प्रदान किया गया है उसे खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस पुलिस उपायुक्त(पश्चिम) में विचाराधीन प्रकरण की प्रति, एवं फोटोग्राफस पेश [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर

अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। अप्रार्थी ने अभिचवन किया है कि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का तीनों सह काश्तकारों ने एक सहमति का विभाजन पत्र दिनांक को तहसीलदार रामपुरा डाबडी, 1812/2023 जिला – जयपुर के समक्ष अपने – अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जिला– जयपुर द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का ली गयी तथा तीनों सहकाश्तकारों की सहमति होने पर दिनांक 19/12/2023 को बंटवारा का आदेश पारित किया गया तथा बंटवारा आदेश दिनांक 19/12/2023 की पालना में अलग–अलग खाता कायम किये गये तथा तरमीमी नक्शा जारी किया गया, मौके पर जाकर तहसीलदार जी ने बंटवारनामें में आयी भूमि का कब्जा सम्भलाया गया तथा अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि पर भागीरथ ने बाउण्ड्रीवाल कर ली, इस प्रकार वादी के हिस्से में खसरा नम्बर 491/871 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 1147/495 रकबा 0.6200 हैक्टेयर तथा नेमीचन्द के हिस्से में खसरा नम्बर 1148/495 रकबा 0. 0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर आये है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है, बंटवारा होने के पश्चात् तहसीलदार जी रामपुरा डाबडी द्वारा तरमीमी नक्शा कायम कर प्रत्येक खातेदार को मौके पर जाकर उनके हिस्से में आयी भूमि पर कब्जा देकर आये है। उक्त भूमि के अलावा अन्य खसरा नम्बरान् का मूल खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा का था, जिसमें से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व नेमीचन्द के पिता सुण्डा पुत्र भूदा का भूमि कदीमि कब्जा के आधार पर आवंटित की गयी थी, जिसका खसरा नम्बर 160/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 160 / 2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नम्बर 491/871, 492/790, 495, 496, 497 बनाये गये है, जिसका बंटवारा होने पर प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 491/871, 492/790 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 1147/495 तथा नेमीचन्द के हिस्से में खसरा नम्बर 1148/495, 496, 497 भूमि आयी है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या– चार के जवाब में लेख है कि खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1147/495 के मध्य सींव पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल हो रखी है, जो [illegible] की गयी है, खसरा नम्बर 492/790 रकबा 0.4700 हैक्टेयर की भूमि का [illegible] के पश्चात् प्रार्थी को कब्जा सम्भलाया गया है, उसके पश्चात् ही सीमा पर बाउण्ड्री [illegible] की गयी है। उक्त विवेचन के आधार पर यह नहीं कहां जा सकता की प्रार्थी को अब कोई अपूरणीय क्षति कारित हो रही हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का खंडन प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथन, विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में टीआई प्रार्थना पत्र में अभिवचन विरोधाभासी है। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य साबित ना होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested